संख्या-20/2022/2109/96-आयुष-1-2022-ई-पत्रा-1634498

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 23 अगस्त 2022**

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ हेतु वाहन क्रय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-37/456/गाडियों का क्रय/2022-23/योजना, दिनांक 06.06.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुर्वेद विभाग के निष्प्रयोज्य मोटर गाडियों की नीलामी के उपरान्त निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ हेतु 01 नग मारूती सियाज अल्फा एस0एच0वी0एस0 पेट्रोल एम0टी0 क्रय किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-07-निदेशन तथा प्रशासन के मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रु0-09,48,970/- (रूपया नौ लाख अडतालिस हजार नौ सौ सत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पर निम्नांकित शर्तों/प्रतिबंधो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

(1) वाहन का क्रय उद्योग विभाग द्वारा वाहनों के क्रय संबंधी आदेशों में दी गयी व्यवस्था/प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(2) वाहन का क्रय वर्तमान में लागू डी0जी0एस0 एण्ड डी0 (DGS & D) के जेम पोर्टल द्वारा निर्धारित दरों पर किया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी की धनराशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय मद में किया जायेगा। किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(5) क्रय प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में चालू वित्तीय वर्ष में ही कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2015/403/18-2-15-125(ल0उ0)/2014 दिनांक 22 मई 2015 का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-07-निदेशन तथा प्रशासन के मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-162/दस-2022-23, दिनांक 10.08.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/वित्तीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी आदर्श कोषागार जवाहर भवन लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक आयुर्वेद निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शैलेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।